

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1757] No. 1757] नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जून 22, 2017/आषाढ़ 1, 1939 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2017/ASADHA 1, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

का.आ.1976(अ).——केंद्रीय सरकार स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति राष्ट्रीय कल्याण न्यास अधिनियम 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खंड—3, उपखंड (ii), तारीख 25 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 881(अ) तारीख 22 सितम्बर 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 2 से 4 और उनसे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जायेंगे:--

- "2. श्री गुरइकबाल सिंह बेदी ऑटिसम इंडिया टुडे पटियाला, पंजाब
- सुश्री सीमा तुली अमर ज्योति पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, दिल्ली
- श्री पुष्प पाल सिंह पूजा सेवा संस्थान, बरेली उत्तर प्रदेश

सदस्य (स्वयं सेवी संगठन—स्वलीनता के प्रतिनिधि)

सदस्य (स्वयं सेवी संगठन—प्रमस्तिष्क घात के प्रतिनिधि)

सदस्य (स्वयं सेवी संगठन—मानसिक मंदता के प्रतिनिधि)''

> [फा.सं. 26–3 / 2013–डीडी–III] डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– II, खंड–3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्या 881 (अ) तारीख 22 सितम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 3004 (अ) तारीख 20 सितम्बर, 2016 के द्वारा किया गया

3864 GI/2017 (1)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Empowerment of Persons with Disabilities

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd June, 2017

S.O. 1976(E).--In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O.881 (E) dated the 22nd September, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 25th September, 2000, namely:-

In the said notification, for serial numbers 2 to 4 and the entries related thereto, the following shall be substituted, namely:-

"2. Shri Guriqbal Singh Bedi Member

Autism India Today (Representative from Voluntary

Patiala, Punjab Organisation – Autism)

3. Ms. Seema Tuli Member

Amar Jyoti Rehabilitation (Representative of Voluntary and Research Centre, Delhi Organisation – Cerebral Palsy)

4. Shri Pushp Pal Singh Member

Pooja Sewa Sansthan (Representative from Voluntary Bareilly, Uttar Pradesh Organisation-Mental Retardation)".

[F.No.26-03/2013-DD-III] DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

Note: The principle notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O.881(E), dated the 22nd September, 2000 and lastly amended *vide* notification number S.O.3004(E), dated the 20th September, 2016.